

- (B) under the sub-heading 'Limited Departmental Competitive Examination', for the entries "in the pay of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs 2400 in PB-1", the entries "in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/02/814 /D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Footnote:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O. 97 dated 22nd October 2012.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

का.नि.आ. 41. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ग' स्टाफ कार चालक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.** —वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	08* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29,200 रु.-92,300 रु.) में स्तर-5

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 की श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की है या जिन्होंने स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण पास किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
(3) स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी	07* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19,900 रु. 63,200 रु.) में स्तर-2

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति का होना;</p> <p>(ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए);</p> <p>(iii) मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>गृह रक्षी सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हता, अनुभव की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

1. कमांडिंग अफसर वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आयुध), खमरिया	-अध्यक्ष	
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी	-सदस्य	
3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन के अधिकारी	-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
(2) स्टाफ कार चालक श्रेणी-II	07* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25,500 रु. 81,100 रु.) में स्तर-4

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)
<p>प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 की श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण पास किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> कमांडिंग अफसर वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आयुध), खमरिया ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन के अधिकारी 	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता
1. कमांडिंग अफसर वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आयुध), खमरिया	-अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी	-सदस्य
3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन के अधिकारी	-सदस्य

[फा. सं. 2523/आर.आर./एस.सी.डी.(समूह 'ग')/ डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

(Department Of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 22nd May, 2017

S.R.O. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Civilian Motor Transport Drivers) Recruitment Rules, 2014, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Staff Car Drivers in Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Drivers Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Staff Car Driver Grade-I.	08* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or absorption or deputation to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion.	<p>Promotion Staff Car Driver Grade-II in Level 4 in the Pay Matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria — Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence establishment — Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Staff Car Driver Grade-II.	07* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25,500-81,100)	Non-selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion	<p>Promotion Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in the Pay Matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria - Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence establishment - Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) Staff Car Driver Ordinary Grade.	07* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the Pay Matrix. (Rs. 19,900-63,200)	Not applicable

(6)	(7)	(8)
<p>Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District</p>	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and 	Not applicable

and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(iv) Pass in 10 th standard from a recognised board or institute.	
Note 2 : In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Desirable: Three years' service as Home Guard Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence establishment — Member	Not applicable

[F. No. 2523/RR/SCD (Group' C')/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.नि.आ. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" (भंडारण काडर) भर्ती नियम 2006 को, जहां तक उनका संबंध भंडारी और सहायक भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन, रक्षा मंत्रालय में भंडारी श्रेणी-1 और भंडारी श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन समूह 'ग' (भंडारण काडर) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन:—**तटरक्षक संगठन के निम्नलिखित पदों के पदधारियों को इन नियमों के प्रारंभ पर नीचे यथा उपदर्शित पुनः नामोद्दिष्ट किया जाएगा :—

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (i) भंडारी | - भंडारी श्रेणी - 1 |
| (ii) सहायक भंडारी | - भंडारी श्रेणी - 2 |